

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

—:अधिसूचना:-

अधि०सू०सं०-01/स्था०राज०-120/2015-

पटना, दिनांक अप्रैल, 2025

गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना अंतर्गत कार्यरत बिहार कृषि सेवा के निम्नांकित पदाधिकारी को कार्यरत में उनके नाम के सामने कॉलम-4 में अंकित पद का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है:-

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	पदस्थापन कार्यालय का नाम	अतिरिक्त प्रभार का पद /कार्यालय का नाम
1	2	3	4
01	श्री कैलाश नाथ	सहायक निदेशक, ईख विकास, गया।	उप निदेशक, ईख विकास, पूसा, समस्तीपुर।

2. इस संबंध में पूर्व में निर्गत अधिसूचना इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।
3. यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा।
4. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

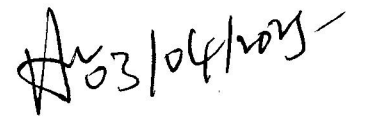
बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/-
(अरुण कुमार)
अवर सचिव।

ज्ञाप संख्या- 01/स्था०राज०-120/2015- 381

पटना, दिनांक 03 अप्रैल, 2025

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई०टी० प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/उप मुख्यमंत्री, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/मुख्य सचिव, बिहार के आप्त सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव एवं सचिव/सभी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, गन्ना उद्योग विभाग/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के आशुटंकक/सभी संबंधित पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई.टी. प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



(अरुण कुमार)
अवर सचिव।